

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)  
टेलीफैक्स नं. 0141-2222403, 2229314. ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)/ (498)/ डीएलबी/2006/जनरल/पार्ट-II/4620 दिनांक : 24.07.2015

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राज्य सरकार एतद्वारा राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/ भवनों की बकाया लीज राशि पर देय ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :-

1. पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालू वर्ष की लीज राशि जमा कराने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट देय होगी।
2. पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के समस्त वर्षों के लिये एक मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देय होगी।

यह छूट दिनांक 31.07.15 तक राशि जमा कराये जाने पर ही देय होगी।

यह अधिसूचना वित्त (राजस्व) विभाग की आई.डी. सं. 101502671 दिनांक 06.07. 2015 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की गई है।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव  
दिनांक : 24.07.2015  
4864

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)/ (498)/ डीएलबी/2006/जनरल/पार्ट-II/4621- दिनांक : 24.07.2015  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
8. समस्त उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।
10. लेखाधिकारी (ई-गवर्नेन्स) को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समन्वयक, सिटी मैनेजर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, जयपुर को CMAR की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)  
अतिरिक्त निदेशक